उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.: H-72007/सी-1/NGT-119/2022 Date: 25/02/2022

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: Action Taken Report in compliance of the order dated 21.12.2021 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 193/2021, RG Residency Apartment Owner Association Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

That in compliance of the order dated 21.12.2021 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 193/2021, RG Residency Apartment Owner Association Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Action Taken Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Therefore, the Action Taken Report is attached herewith for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,

(Vivek Roy)
Chief Environment Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Law Officer-I, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Regional Officer, UPPCB, Noida.

(Vivek Roy)

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

REPORT IN COMPLIANCE OF

HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

ORDER DATED 21 December, 2021

IN

O. A. No.- 193/2021

RG RESIDENCY APARTMENT OWNER ASSOCIATION

VS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

Background

The issue pertains to non-functioning of sewage treatment system at Group Housing Complex, R.G. Residency, Sector 120, NOIDA resulting in untreated sewage being discharged unscientifically to the detriment of the environment. In view of above complaint, Hon'ble Tribunal passed following orders on 6.8.2021:-

"...In view of above, we direct the State PCB, SEIAA, UP and CEO NOIDA to look into the matter consistent with the directions already issued and as per legal mandate and take remedial measures in accordance with law to prevent violation of environmental norms as well as fixing accountability for past violations. Member Secretary, SEIAA, UP will act as nodal agency for coordination and compliance. The said authorities may ascertain whether requisite EC/consents have been granted and whether condition thereof are being met. If not, remedial action be taken for compliance. In particular, functioning of STP, meeting of standards and utilisation of treated sewage and manner of disposal of treated effluents and solid waste may be looked into..."

The detailed joint report in compliance of the above stated order was presented before Hon'ble NGT on 25 November, 2021 by nodal agency, SEIAA, UP.

Further the matter was heard on 21 .12.2021 by Hon'ble Tribunal.

Hon'ble Tribunal passed following orders on Dated 21.12.2021: -

".. 6. Since the compensation assessed is not shown to have been recovered nor the violations found of not making the STP operational rectified, the State PCB needs to ensure compliance and file a further action taken report within one month. Adequacy of compensation also needs to be assessed having regard to the cost of restitution, deterrence element consistent with financial capacity as per judgments of the Hon'ble Supreme Court inter alia in Goel Ganga Developers, (2018)18 SCC 257. Similarly, the NOIDA Authority also needs to take follow-up action of removing/demolishing illegal construction in the green area and remedial action with regard to irregularities found........

.... We also direct the State PCB and NOIDA Authority to put the project proponent to notice of these proceedings.

7. In view of rampant failures in compliances, the consent process adopted by the State PCB needs to be reviewed for better regulation of environmental norms. The Member Secretary, State PCB may remain present in person on the next date by video conferencing for interaction on the subject."

Compliance and Action Taken Report

In compliance of the directions of Hon'ble Tribunal, the copy of the proceedings as order of Hon'ble NGT dated 21.12.2021 was served to the project proponent. The copy of the receiving as acknowledgment is attached as ***Annexure 1***.

The said group housing complex, R.G. Residency, GH 02, Sector-120, Noida was inspected by UPPCB on dated

28.01.2022 and held discussion with the Secretary, AoA, as representatives of Apartments owner Association (AoA) and verified the status of installation and operation of Sewage Treatment Plant. The Director of the project, as representative of the project proponent was present along with the Secretary of apartment owner association during the inspection.

During inspection it has been informed that out of proposed 10 towers, 08 have been constructed which comprises of 1540 flats, out of these around 1320 are inhabited. Sewage treatment plant was found installed on site, the STP installed in the premises was found operational during the inspection and treated sewage was being discharged through Authority's sewerage network which leads to terminal STP based on SBR technology at Sector 123, NOIDA. Sample was collected from STP outlet discharge and analyzed at NABL accredited laboratory of UPPCB. The result received is conforming the discharge norms. The copy of report is annexed as ***Annexure 2*.**

The Group Housing Society is operating without Consent to operate (Air & Water) from UPPCB therefore a notice was issued to the project proponent to obtain Consent to Operate under provisions of water and air act. Consent to operate is still not applied by the project proponent. Copy of Notice issued is annexed as ***Annexure-3***.

Earlier, in view of non-compliance with regards to operation of sewage treatment plant and occupancy of flats without obtaining requisite Consent to Operate (Air &

Water) from UPPCB, Environmental Compensation of Rs. 91,40,000/- was recommended against the project proponent.

Further, as after the direction of Hon'ble NGT the Environmental Compensation was reviewed and finally was imposed as **Rs 21,75,000.00 (Rupees Twenty One Crores Seventy Five Lakhs Only)** against the project proponent by UPPCB. The copy of the letter is annexed as ***Annexure 4.***

The copy of the letter of imposition of the Environmental Compensation was delivered to the project proponent in-person, the receiving of the said is annexed as ***Annexure-5.***

Further for recovery of imposed EC, letter has been sent to District Magistrate, Gautam Buddha Nagar by UPPCB to recover the amount as arrear of land revenue vide letter dated 25.02.2022. A copy of the letter is annexed as ***Annexure-6***

Prosecution against the project proponent is filed in the Hon'ble Special Court (Pollution) Lucknow, under Section 43 and 44 of Water (Pollution Prevention and Control) Act 1974 on dated 25.02.2022.

For better regulation of environmental norms and management of Consent to Operate by Group Housing Socities in Noida, a direction under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 has been issued to Chief Executive Officer, Noida by UPPCB. A copy of the same is annexed as ***Annexure-7.***

Dated- 25-02-2022

(Praveen Kumar)
Regional Officer
UPPCB, Noida

Annexure-1

Item No. 02 (Court No. 1)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 193/2021
(I.A. No. 171/2021)

RG Residency Apartment Owner Association — Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. — Respondent(s)

Date of hearing: 21.12.2021

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Ravi Prakash, Advocate

Respondent(s): Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advocates for UPPCB
Mr. Rachit Mittal, Advocate for NOIDA Authority

ORDER

1. Grievance in this application is against non-functioning of sewage treatment system at Group Housing complex, R.G. Residency, Sector 120, Noida resulting in untreated sewage being discharged unscientifically to the detriment of the environment.

2. Case of the applicant is that in the said group housing complex, there are 1540 dwelling units. The Noida Authority granted occupancy certificate for the same on 09.09.2015. The Project Proponent (PP) has failed to comply with the environmental norms. The Noida Authority, found several deficiencies and issued direction on 18.10.2019 requiring the PP to take necessary measures for waste management, green areas

Recd. 27/01/2022 Himanshu Garg 9560096023 Director

Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1230/L-136/22 दिनांक: 27-01-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 193/2021 आर0जी0 रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट ओनर एसोशियेशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित ओ0ए0 संख्या 193/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2021 की प्रति परियोजना के निदेशक श्री हिमान्शु गर्ग (मो0–9560096023) को दिनांक 27.01.2022 को अनुपालनार्थ प्राप्त करा दी गयी है।

प्राप्ति की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2

REGIONAL LABORATORY GHAZIABAD, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

INS-2,SECTOR-16,VASUNDHARA,GHAZIABAD-201012, Phone: 0120-4160108

TEST REPORT: WATER LABORATORY(WASTE WATER)

Certificate No. TC-9573

Customer/Init Name & Address	R.G. Residency Plot No GH-02 Sector-120 Noida	Report No.	UPPCB/GZB/WW/01/22/61A
		Report Date (dd/mm/yyyy)	04.02.2022
		Customer Ref. No:	
		Any other information	

Quantity:	2 Litre		
Batch No.	UPPCB/GZB/WW/01	Sample Received Date:	28.01.2022
Laboratory Code:	UPPCB/GZB/WW.	Date of Analysis Started:	28.01.2022
		Date of Completion of Analysis:	04.02.2022
Sample Type:	Grab	Date of Sampling :	28.01.2022
Sampling Location:	Final outlet after S.T.P	Sample collected by:	Praveen Kumar R.O, Satya Vijay, A.E.E.

Method of Analysis- , APHA,AWWA,WEF, 23 Edition, ,IS 3025 (Part-44) for BOD

S.No.	Name of test Parameters	Standards prescribed by C.P.C.B	Unit	Result	Test Method
1.	pH	5.5-9.0	-	7.49	4500 H+ B Electrometric Method
2.	Colour			Colourless	2120 B Visual Comparison Method
3.	Total Suspended Solids	100.0	mg/l	72.0	2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105°C
4.	Total Dissolved Solids	-	mg/l	1030.0	2540 C Total Dissolved Solids dried at 180°C
5.	Total Solids	-	mg/l	1102.0	2540 B Total Solids dried at 103-105₀C
6.	B.O.D	30.0	mg/l	18.0	3 day 27°C IS 3025 (Part 44):1993 Bio chemical Oxygen Demand
7.	C.O.D	250.0	mg/l	104.0	5220 B Open Reflux Method

Analysed By -........................ 04/02/22
(S.A.)

Reviewed By

(Scientific Officer/ Quality Manager)

Authorized Signatory

(Regional Officer/ Technical Manager)

Note: 1. The result in the Test Report relate only to the items tested.2. The report shall not be ...

Annexure-2

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012
Phone: 0120-4160108, E-Mail-roghaziabad@uppcb.in

TEST REPORT: WATER LABORATORY (WASTE WATER)

Customer/Unit Name & Address	M/s - R.G. Residency, Plot No GH-02, Sector - 120, NOIDA	Report Date (dd/mm/yyyy)	04/02/22
Laboratory Code:	UPPCB/GZB/WW/01/22	Sample Receiving Date:	28-01-22
		Date of Analysis Started:	28-01-22
Sampling Location:	Final outlet after STP	Date of Completion of Analysis,	04/02/22
		Date of Sampling :	28-01-22
Sample collected by:			

Method of Analysis- , APHA, AWWA, WEF, 23 Edition

S.No.	Name of test Parameters	Standards prescribed by C.P.C.B	Unit	Result
1.	Odour	Odourless	-	
2.	Oil & Grease	10	mg/l	
3.	METALS			
i.	Chromium (Hexavalent) (Cr+6)	0.1	mg/l	
ii.	Total Chromium (Cr)	2.0	mg/l	
iii.	Zinc (as Zn)	5.0	mg/l	
iv.	Nickel (as Ni)	3.0	mg/l	
v.	Iron (as Fe)	3.0	mg/l	
vi.	Copper (as Cu)	3.0	mg/l	
vii.	Cobalt (as Co)	3.0	mg/l	
viii.	Cadmium (as Cd)	2.0	mg/l	
ix.	Phosphate (PO_4-)	5.0	mg/l	
4.	Specific Parameters Total Coliform Fecal Coliform	<1000	MPN/100ml MPN/100ml	2200 930
5.	Remark			

Analysed By - 04/02/22
(S.A)

Reviewed By: ....Authorized Signatory: ....

(Scientific Officer/Quality Manager)

(Regional Officer/Technical Manager)

Note:

Annexure-3

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 1324 / NOC-165 / 2022

दिनांकः 05-02-2022

नोटिस

मै0 आर जी रेजिडेन्सी,
(प्रमोटर मै0 आर जी रेजिडेन्सी प्रा0लि0),
प्लाट संख्या– जी0एच0–02, सेक्टर–120,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्राख्यापित प्राविधानो के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 28.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करे। निरीक्षण के दौरान श्री हिमान्शु गोयल, निदेशक परियोजना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय परियोजना में घरेलू उत्प्रवाह शोधन हेतु स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित/संचालित पाया गया, परन्तु कार्यालय अभिलेखानुसार परियोजना संचालनार्थ संदर्भित अधिनियमान्तर्गत अभी तक राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नही की गयी है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानो का उल्लंघन है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको यह निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालनार्थ बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु पूर्ण सूचनाओं तथा यथाप्रस्तावित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सहमति जल/वायु आवेदन पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में परियोजना के विरूद्ध संदर्भित अधिनियमों के प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं परियोजना एवं परियोजना के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

(प्रवीण कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ सं० H71572

Ref.No................................/सी–1/जल/1527/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति /2022 दिनाँक Date 14-2-22

मैसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी,
(प्रमोटर मै0 आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0)
प्लाट नं0–जी0एच0–02 सेक्टर–120,
नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।

यह कि मै0 आर0जी0 रेजिडेन्सी, (प्रमोटर मै0 आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0) प्लाट नं0–जी0एच0–02 सेक्टर–120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर इकाई एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना है जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोयडा के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि प्रस्तावित परियोजना में कुल 10 टॉवर्स में से 08 टॉवर्स निर्मित पाये गये, जियके अन्तर्गत 1540 फ्लैट निर्मित पाये गये जिसमें 1320 फ्लैट आक्यूपाइड पाये गये। परियोजना में जनित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्विकरण हेतु शुद्विकरण संयंत्र स्थापित है जो निरीक्षण के दौरान शुद्विकरण संयंत्र पूर्णतः वन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह एस0टी0पी0 के कलेक्शन टैंक में एकत्रित कर पम्प के माध्यम से अशुद्विकृत अवस्था में ही प्राधिकरण के सीवर में निस्तारित होता पाया गया। निरीक्षण के दौरान निस्तारित किये जा रहे अशुद्विकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियावाद की प्रयोगशाला में जमा करा गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार समस्त प्रचालक बोर्ड मानको से अधिक पाये गये। आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर संचालन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंधन है।

उक्त परियोजना के विरूद्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या–एच68106/सी–1/जल/1527/ का0व0नो0/2021, दिनांक 11.11.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस के परिपेक्ष्य में परियोजना से समुचित प्रतिउत्तर/अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

परियोजना के विरूद्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–193/2021 आर0जी0 रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट्स ऑनर एसोसियेशन बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2021 (...deterrence element consistent with financial capacity as per judgements of the Hon'ble Supreme Court inter alia in Goel Ganga Developers, (2018) 18 SCC 257...) के अनुकम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के सम्बन्ध में

Scanned with CamScanner

बोर्ड के विधि अधिकारी द्वारा दिये गये सुझावों के परिपेक्ष्य में परियोजना के विरूद्व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणनानुसार परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत (4350000000 का 5 प्रतिशत) अर्थात् रूपये 21,75,00,000/– (रू0 इक्कीस करोड़ पच्हत्तर लाख मात्र) है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के अनुसार परियोजना मै0 आर0जी0 रेजिडेन्सी, (प्रमोटर मै0 आर0जी0 रेज़िडेन्सी प्रा0लि0) प्लाट नं0–जी0एच0–02 सेक्टर–120, गौतमबुद्ध नगर के विरूद्व बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्याएच68105/सी–1/जल/1531/का0ब0नो0/2021, दिनांक 11.11.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू0 21,75,00,000/– (रू0 इक्कीस करोड़ पच्हत्तर लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। अतः तत्कम में आपको निर्देशित किया जाता है रू0 21,75,00,000/– (रू0 इक्कीस करोड़ पच्हत्तर लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के यूनियन बैंक आफ़ इण्डिया, विभूति खण्ड खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आईएफएससी कोड– UBIN0570150 में जमा कराया जाये।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. विशेष कार्याधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोयडा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि में अपनी आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1)

Scanned with CamScanner

Annexure-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ सं० H71572
Ref.No................................/सी–1/जल/1527/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति /2022

दिनांक
Date 14-2-22

मैसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी,
(प्रमोटर मै0 आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0)
प्लाट नं0–जी0एच0–02 सेक्टर–120,
नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।

यह कि मै0 आर0जी0 रेजिडेन्सी, (प्रमोटर मै0 आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0) प्लाट नं0–जी0एच0–02 सेक्टर–120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर इकाई एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना है जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोयडा के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि प्रस्तावित परियोजना में कुल 10 टॉवर्स में से 08 टॉवर्स निर्मित पाये गये, जियके अन्तर्गत 1540 फ्लैट निर्मित पाये गये जिसमें 1320 फ्लैट आक्यूपाइड पाये गये। परियोजना में जनित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है जो निरीक्षण के दौरान शुद्धिकरण संयंत्र पूर्णतः बन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह एस0टी0पी0 के कलेक्शन टैंक में एकत्रित कर पम्प के माध्यम से अंशुद्धिकृत अवस्था में ही प्राधिकरण के सीवर में निस्तारित होता पाया गया। निरीक्षण के दौरान निस्तारित किये जा रहे अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद की प्रयोगशाला में जमा करा गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार समस्त प्रचालक बोर्ड मानको से अधिक पाये गये। आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर संचालन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंधन है।

उक्त परियोजना के विरूद्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या–एच68106/सी–1/जल/1527/ का0ब0नो0/2021, दिनांक 11.11.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस के परिपेक्ष्य में परियोजना से समुचित प्रतिउत्तर/अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

परियोजना के विरूद्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–193/2021 आर0जी0 रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट्स ऑनर एसोसियेशन बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2021 (...deterrence element consistent with financial capacity as per judgements of the Hon'ble Supreme Court inter alia in Goel Ganga Developers, (2018) 18 SCC 257...) के अनुकम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के सम्बन्ध में

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831,
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

16/2/2022

Himanshu Garg
RG Group
9560056023

Scanned with CamScanner

Annexure-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H71951 /C-1/जल–1527/2022 Date: 25/02/22

पंजीकृत

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः–मैसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी, प्लॉट नं0–जी0एच0–02, सेक्टर–120, नोएडा के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भांति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 71572/सी–1/जल–1527/पर्या0 क्षतिपूर्ति/2022 दिनांक–14.02.2022 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके द्वारा मैसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी, प्लॉट नं0–जी0एच0–02, सेक्टर–120, नोएडा के विरूद्ध सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का संचालन उचित ढंग से न किये जाने के कारण रू0 21,75,00,000/– (रू0 इक्कीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी। इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 21,75,00,000/– (रू0 इक्कीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा नहीं की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा अपने पत्र संख्या 1376/एनओसी–165/22 दिनांक 24.02.2022 के माध्यम से इकाई के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भॉति वसूली कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी, प्लॉट नं0–जी0एच0–02, सेक्टर–120, नोएडा के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 21,75,00,000/– (रू0 इक्कीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वसूली भू–राजस्व की भांति कराकर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाता संख्या 701502010002104 IFSC Code-UBIN0570150, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली कराकर सम्बन्धित खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

Annexure-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० दिनॉक
Ref. No H7157 /सी–1/NWT-119/2022 Date- 14/02/22

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर–6, गौतमबुद्ध नगर।

विषयः– निर्माणकारी परियोजनाओं को राज्य बोर्ड से वैध सहमति के बिना कम्प्लीशन/आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत न किये जाने के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निर्देश।

यह कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर एक निगमित निकाय के अन्तर्गत आता है, जिसके द्वारा विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं को अनुज्ञा/कम्प्लीशन/आक्यूपेन्सी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

यह कि निर्माणकारी परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना आज्ञापक है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोयडा के पत्र संख्या 1246/एल–136/2022 दिनांक 28.01.2022 द्वारा संज्ञानित है कि कतिपय हाउसिंग प्रोजेक्ट्स/परियोजनाओं को राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत वैध सहमति के बिना संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा/कम्प्लीशन/आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। निर्माणकारी परियोजनाओं को संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा/कम्प्लीशन/आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत किए जाने से पूर्व पर्यावणीय मानकों को प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत वैध सहमति होना आज्ञापक है।

यह कि प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या–3333/55–पर्या–08–202(पर्या)2008 दिनांक 29.09.2008 में उल्लिखित है कि –

" 3– अतः सभी विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं प्राईवेट बिल्डर्स को निर्देशित किया जताा है कि वे नयी प्रस्तावित आवासीय कालोनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं बहुखण्डीय इमारतों को विकसित/स्थापना करने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। साथ ही अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में आवश्यकतानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।"

यह कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय अधिनियमों के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन तथा जनसामान्य को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान किए जाने के हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपको निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं:–

" नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले निर्माणकारी परियोजनाओं को राज्य बोर्ड से वैध सहमति के बिना कम्प्लीशन/आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत न किया जाए।"

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोयडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/
सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with CamScanner